

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(79)वित्त-1(1)आय.व्य/2017

जयपुर, दिनांक : 27.02.2019

स्वीकृति संख्या:- 749/2018-19

कोषाधिकारी,
उदयपुर ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 1301.69 लाख के हस्तांतरण बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.6/सीटीएडी/लेखा/विकिस/2018-19 स्वीकृति सं. 64/2018-19 दिनांक 20.02.2019 राशि 1001.69 लाख एवं स्वीकृति संख्या 65/2018-19 दिनांक 20.02.2019 राशि 300.00 लाख में अंकित शर्तों के अनुसार कुल राशि रुपये 1301.69 लाख (अक्षरे रुपये तेरह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार) मात्र आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

(राशि लाखों में)


- | | | |
|------|---|--|
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय । | |
| 02 | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण । | |
| 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना । | |
| (24) | जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास हेतु पूंजीगत निर्माण कार्य (वि.के.स.) | |

[01]	जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना	
17	वृहद निर्माण कार्य (वि.के.स.) ।	1001.69
[02]	टीएडी भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवीनीकरण	
17	वृहद निर्माण कार्य (वि.के.स.) ।	300.00
	योग	1301.69

अक्षरे रुपये तेरह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।


भवदीय,


(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)